आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

12/8/24

न्यायालय, श्रीमती मनीषा तिर्की, विशेष विनियमन पदाधिकारी, राँची।

एस०ए०आर०वाद सं०-27/2022-2023

अनिल उराँव, ... आवेदक।

बनाम

कान्ता कौर..... विपक्षी।

आदेश

आवेदक अनिल उराँव, पिता–स्व० छेदी उराँव, जाति–उराँव, निवासी ग्राम–हेसल, थाना–सुखदेवनगर, जिला–राँची द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम–1908 की धारा–71"A" के अंतर्गत जमीन वापसी हेतु यह वाद दायर किया गया है। आवेदक ने आरोप लगाया है कि उनकी खतियानी भूमि पर विपक्षी कान्ता कौर, पति–जनरल सिंह, निवास ग्राम–बैंक कॉलोनी रोड, पिस्का मोड़, रातु रोड, थाना–सुखदेवनगर, जिला–राँची द्वारा छल प्रपंच से हड़प लिया गया है।

जमीन का विवरण

ग्राम	थाना नं0	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकबा
हेसल	202	95	752	11 डी०

आवेदक ने अपने आवेदन एवं शपथ पत्र में उल्लेख किया है कि प्रश्नगत जमीन रिवीजनल सर्वे खतियान मे लीलु उराँव, वो बनधना उराँव, वो बुधुआ उराँव, वो लोहरा उराँव, वो कोका उराँव कौम उराँव, शाकिन देह के नाम दर्ज है।

आवेदक अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं। विपक्षी ने उपायुक्त से अनुमति प्राप्त किये बिना ही छल–प्रपंच से जबरन जमीन पर कब्जा कर आवेदक को बेदखल कर दिया है। इसी को आधार मानते हुए कारण पृच्छा प्रस्तुत करने हेतु विपक्षी को नोटिस निर्गत किया गया।

12/8/24

कृ०पृ०उल्टे

आवेदक ने अपने शपथ पत्र में कहा है कि वर्णित खतियान लीलु उराँव, वो बन्धना उराँव, वो बुधुआ उराँव, वो लोहरा उराँव पेशरान कोका उराँव के नाम से दर्ज है। खतियानी रैयत कोका उराँव अपने पीछे चार पुत्र लिलु उराँव वो बंधना उराँव वो बुधुआ उराँव वो लोहरा उराँव को छोड़कर स्वर्गवास कर गये। बुधुआ उराँव अपने पीछे रूसना उराँव और चरकु उराँव को छोड़ गये। चरकु उराँव अपने पीछे छेदी उराँव और शनिचरवा उराँव को छोड़ गये। छेदी उराँव अपने पीछे आवेदक अनिल उराँव को छोड़ गये है। आपसी परिवारिक बंटवारे में उपरोक्त वर्णित भूमि छेदी उराँव के हक हिस्से में प्राप्त है, जो आवेदक के पिता हैं। आवेदक का कहना है कि विपक्षी द्वारा नजायज तरीके से जमीन को हड़प लिया गया है। आवेदक खतियानी रैयत के वंशज हैं। आवेदक की ओर से एक स्वतंत्र गवाह शीला देवी, पति–मथुरा सिंह, को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। गवाह न्यायालय में उपस्थित होकर अपना ब्यान दिया है, कि वर्णित भूमि पर विपक्षी द्वारा गलत तरीके से कब्जा कर लिए हैं। आवेदक अनिल उराँव, पिता–स्व० छेदी उराँव, ने गवाही दी है जिसमें कहें कि विपक्षी मेरे जमीन को हड़प लिये हैं।

विपक्षी की ओर से कारण पृच्छा दाखिल है। कहते हैं कि जमीन पर मेरा घर बना हुआ है जिसे सदा हुकुमनामा से खरीदे हैं। वर्णित जमीन छपरबंदी भूमि है। मेरे नाम पर जमीनदारी रसीद है। इस पर कच्चा मकान था जिसे मैं तोड़ कर 1968 ई० में नया मकान बनाया, इस पर छपरबंदी भूमि की बजह से छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम–1908 की धारा–71"A" के लागु नहीं होता है। विपक्षी की ओर से तीन गवाह प्रस्तुत किया गया है। (1) जरनैल सिंह, पिता–स्व० अवतार सिंह, (2) राज शर्मा, पति–स्व० अमर शर्मा, (3) गगन कुमार, पिता–स्व० काशी राम, को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विपक्षी स्वयं कांता कौर, पति–जरनैज सिंह, की भी गवाही दी है। विपक्षी की ओर से सादा हुकुमनामा तथा जमीनदारी रसीद एवं होल्डिंग रसीद दाखिल किया है।

आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने बहस किया तथा लिखित बहस दाखिल किया गया है। आवेदक कहते हैं कि विपक्षी कांता कौर, छल प्रपंच से

कृ०पृ०उल्टे

भूमि को दखल कब्जा कर लिये हैं और विपक्षी द्वारा 8–9 वर्ष पहले ही मकान बनाने का प्रयास किया गया था। विपक्षी द्वारा हुकुमनामा 1942 का जमीनदारी रसीद दाखिल किया गया है जो बनावटी, फर्जी एवं जाली कागजात है, तथा जो होल्डिंग पेपर दाखिल किया गया है वह दूसरे खाता का है, यह जमीन आदिवासी खाते की है। अतः वर्णित भूमि आवेदक को वापस किया जाय।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस किया गया तथा लिखित बहस दाखिल किया गया है। लिखित बहस में कहते हैं कि उपरोक्त वर्णित भूमि में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम–1908 की धारा–71"A" लागु नहीं होता है। यह जमीन छपरबंदी है और 30 वर्ष बाद वाद को लाया गया है। इस जमीन पर खेती बारी नहीं होता है। विपक्षी को सादा हुकुमनामा 18.06.1942 से प्राप्त हुआ है साथ जमीनदारी रसीद दिया गया है, इस जमीन पर 1969 से कभी भी खेती बारी नहीं हो रहा है।

उभय पक्षों को सुनने तथा दाखिल कागजातों के अध्ययन से प्रतीत होता है कि विपक्षी द्वारा गलत तरीके से जमीन पर कब्जा किया गया है। अतः छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा–71"A" के अंतर्गत प्रश्नगत जमीन पर विपक्षी कांता कौर, पति–जनरल सिंह, निवास ग्राम–बैंक कॉलोनी रोड, पिस्का मोड़, रातु रोड, थाना–सुखदेवनगर, जिला–राँची मौजा–हेसल, थाना नं०–202, खाता संख्या–95, प्लॉट संख्या–752, कुल रकवा–11 डिसमील पर अवैध रूप से दखलकार को बेदखल करते हुए आवेदक को जमीन वापस किया जाता है, तथा विपक्षी को आदेश दिया जाता है कि यदि प्रश्नगत भूमि पर कोई संरचना हो तो 03 माह के अंदर हटा लें।

तदनुसार अंचल अधिकारी, हेहल को दखल देहानी हेतु आदेश निर्गत करें कि यदि प्रश्नगत भूमि पर कोई संरचना निर्मित हो तो उसे हटाने हेतु प्रावधानुसार विपक्षी को पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए आवेदक सहित वैध वंशजों को दखल देहानी सुनिश्चित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

12/8/24

विशेष विनियमन पदाधिकारी,
राँची

12/8/24

विशेष विनियमन पदाधिकारी,
राँची।

ज्ञापांक - 209 (ii) दिनांक - 12/08/24

प्रतिलिपि - अंचल अधिकारी हेहल, राँची को प्रश्नगत भूमि पर बैठे कब्जे को दखल-देहानी हेतु प्रेषित ।

Mi-/12/8/24

वि० वि० प्रा०

राँची ।

Digitally signed by MANISHA TIRKEY
Date: 2024.12.09 13:27:25 +05:30
Location: 192.168.51.130